मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2000 (फाल्गुन 25, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री गोपाल भार्गव, लक्ष्मण सिंह गौड़, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, प्रदेश में वनों से लकड़ी कटाई एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुधाकर राव बापट, सदस्य, बीना नगर में मंडी चुनाव के दौरान एक परिवार पर प्राण घातक हमला होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री हरवंश सिंह, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अड़तीसवां से अठावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री रणधीर सिंह, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मेघाराम साहू, सदस्य, जांजगीर -चांपा जिले के ग्राम नन्दौर कला स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने;

(2) श्री हाजी गुलाम सिप्तैन, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम बदबदी टौला के कृषकों को सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने; तथा

(3) श्री अहिरवार पर्वतलाल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम रामनगर पुरैनिया में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

5. संकल्प

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

1 घन्टा "यह कि यह सदन भारत के संविधान में उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) की व्याप्ति के अंतर्गत आता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1999 द्वारा किये जाने कि लिए प्रस्तावित हैं".

(2) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगेः-

30 मि. "भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में, यह सभा संकल्प करती है कि सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित विषय और उससे संलग्न या उससे प्रासंगिक और आनुषंगिक समस्त अन्य विषयों को मध्यप्रदेश राज्य में संसद द्वारा विधि अनुसार विनियमित किया जाए."

6. सांविधिक संकल्प

श्री सत्यनारायण शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य पेंशन नियम, 1977 में किये गये संशोधनों के अनुमोदन संबंधी संकल्प प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय	**7. शासकीय विधि विषयक कार्य**
30 मि.	(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 14 सन् 2000) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
30 मि.	(2) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2000 (क्रमांक 5 सन् 2000) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
1 घन्टा	(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 3 सन् 2000) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
30 मि.	(4) श्री महेन्द्र सिंह, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
30 मि.	(5) श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 8 सन् 2000) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशःविचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 14 मार्च, 2000